आईएनडीसी के संबंध में प्रेस वक्तव्य

2 अक्तूबर, 2015

नई दिल्ली, भारत : गांधी जयन्ती के अवसर पर भारत ने अपने अभिप्रेत राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) प्रस्तुत किए हैं । भारत के आईएनडीसी का दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के प्रसिद्ध प्रबोधन, "पृथ्वी के पास लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, किन्तु लोगों के लालच को पूरा करने के लिए ये कभी पूरे नहीं होंगे" से प्रेरित समानता के विचार पर आधारित है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के 'असुविधाजनक सत्य' का सामना करने के लिए 'सुविधाजनक कार्रवाई' का आह्वान किया है, के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तैयार किया गया है ।

2. नवम्बर, 2013 में वारसॉ में संपन्न जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) के 19वें सत्र में सभी पक्षकारों को सम्मेलन के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में उनके अभिप्रेत राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) के लिए घरेलू तैयारियां प्रारम्भ करने और पक्षकारों के सम्मेलन के 21वें सत्र से पहले इसकी सूचना देने के लिए आमंत्रित किया गया था । वारसॉ सीओपी 19 और लीमा सीओपी 20, दोनों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, 'राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदानों' की संकल्पना में i) समानता तथा साझा किंतु भिन्न दायित्व (सीबीडीआर) के सिद्धांतों को परिलक्षित किया जाना है और ii) देश के योगदानों को एक संतुलित तथा व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए । आईएनडीसी में वर्ष 2020 के पश्चात की जलवायु संबंधी कार्रवाईयों की रूपरेखा दी जाएगी जिन्हें वे एक नए अंतरराष्ट्रीय करार के अन्तर्गत अपनाना चाहते हैं ।

3. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत एक निम्न कार्बन उत्सर्जन मार्ग की ओर कार्यरत होने का प्रयास करने के साथ-साथ आज हमारे देश के समक्ष खड़ी सभी विकासात्मक चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करने का इच्छुक है, भारत के आईएनडीसी अनुकूल एवं महत्वाकांक्षी हैं । आईएनडीसी दस्तावेज़ को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निर्धन और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा करने के लिए सतत जीवन-शैली तथा जलवायु संबंधी न्याय के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है । पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के आईएनडीसी की तैयारी के लिए एक बहुत ही समावेशी दृष्टिकोण अपनाया। इसने प्रमुख मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की विशिष्ट भागीदारी से अनेक हित धारकों से परामर्श किए। सिविल सोसायटी के संगठनों, विचारकों और विख्यात तकनीकी एवं शैक्षिक संस्थाओं से भी विचार-विमर्श किए गए । मंत्रालय ने एक दशकीय अन्तराल के साथ वर्ष 2050 तक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों के अनुमानों के लिए ग्रीन हाऊस गैस मॉडेलिंग अध्ययन प्रारम्भ किए थे । इन सभी परामर्शों एवं अध्ययनों के सार को भारत के आईएनडीसी को प्रस्तुत करने से पूर्व ध्यान में रखा गया था । भारत के आईएनडीसी के लिए सरकार ने योगदानों के एक सैट का लक्ष्य रखा जो व्यापक, संतुलित, समान और व्यावहारिक हैं तथा अंगीकरण, उपशमन, वित्त,

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और कार्रवाई एवं समर्थन में पारदर्शिता सहित सभी तत्वों का समाधान करते हैं ।

4. भारत का आईएनडीसी, उपशमन, अंगीकरण, वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के सभी मुद्दों को प्रदर्शित करने के लिए संतुलित और विस्तृत रीति से तैयार किया गया है । प्रस्ताव, निम्नलिखित से संबंधित हैं:

क. सतत जीवनशैली
ख. स्वच्छतर आर्थिक विकास
ग. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन सघनता में कमी लाना
घ. गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत के भाग में वृद्धि करना
ड. कार्बन सिंक (वन) में अभिवृद्धि
च. अंगीकरण
छ. वित्त प्रबंधन
ज. प्रौद्योगिकी हस्तांरण और क्षमता निर्माण

आईएनडीसी, स्वच्छ ऊर्जा, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता में अभिवृद्धि, कम कार्बन सघनता और सुनम्य शहरी केन्द्रों के विकास, अपशिष्ट से धनार्जन को बढ़ावा देने, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सतत पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल परिवहन नेटवर्क, प्रदूषण उपशमन तथा वन और वृक्ष आवरण के सृजन के माध्यम से कार्बन सिंक में अभिवृद्धि करने में भारत के प्रयासों से संबंधित भारत की नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित हैं । यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में नागरिकों और निजी क्षेत्र के योगदान को भी प्रस्तुत करता है ।

5. नियोजित कार्रवाइयों और आर्थिक सुधारों ने भारत में ऊर्जा सघनता की तेजी से कम हो रही विकास दर में सकारात्मक रूप से योगदान दिया है । भारत सरकार ने अपने विभिन्न संस्थाओं और संसाधनों के माध्यम से दीर्घावधि में भारतीय ऊर्जा तंत्र को कार्बन से अलग करने के लिए कदम उठाए हैं । भारत ने गरीबी उन्मूलन, सभी व्यक्तियों को आवास, विद्युत और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने को सुनिश्चित करने जैसी बृहत विकास चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कन्वेंशन के अनुसार कोई बाध्यकारी उपशमन वचनबद्धताओं के न होने के बाद भी 2005 के स्तरों के अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन सघनता को वर्ष 2020 तक 20-25% तक कम करने का स्वैच्छिक लक्ष्य घोषित किया है । कम कार्बन रणनीतियों और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीति उपायों की आवृत्ति के परिणामस्वरूप, वर्ष 2005 और 2010 के बीच हमारे सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन सघनता में 12 % तक की कमी आई है । यह संतोष का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने अपनी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2014 में भारत को अपने स्वैच्छिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगे हुए देशों में से एक देश के रूप में मान्यता दी है ।

भारत ने उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, ऑटो-मोबाइल और परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाने, गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन तथा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित भवन क्षेत्र हेतु अनेक महात्वाकांक्षी उपाय अपनाए हैं । नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़ोर देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना, जलवायु अनुकूल शहरी केंद्रों और सतत हरित परिवहन तंत्र का विकास करना, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के कुछ उपाय हैं।

ताप विद्युत संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता में व्यवस्थित ढंग और अनिवार्य रूप से सुधार किया जाएगा । एक मिलियन से अधिक मध्यम और लघु उद्यमों को उनकी गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने, संसाधन दक्षता का संवर्धन करने, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु शून्य प्रभाव और शून्य दोष स्कीम में शामिल किया जाएगा ।

शहरी परिवहन नीति में व्यापक त्वरित पारगमन प्रणालियों पर प्रमुख बल देते हुए वाहनों की बजाए लोगों को चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । मौजूदा 236 किमी मेट्रो रेल के अलावा पुणे, अहमदाबाद और लखनऊ सहित नगरों के लिए लगभग 1150 किमी लंबी मेट्रो परियोजनाएं नियोजित की जा रही हैं । कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए भारत की प्रथम एमआरटीएस परियोजना बनने वाली दिल्ली मेट्रो में वार्षिक रूप से लगभग 0.57 मिलियन टन CO_2 को कम करने की संभाव्यता है ।

निकट भविष्य में देश भर में ईंधन मानकों में सुधार लाने के लिए भारत चरण IV (बीएस IV) से भारत चरण V (बीएस V) और भारत चरण (VI) (बीएस VI) में परिवर्तन किए जाने की भी योजना है ।

6. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक कार्यनीतिक राष्ट्रीय संसाधन हैं । इन स्रोतों का उपयोग भारत को स्वच्छतर पर्यावरण, ऊर्जा आत्मनिर्भर और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के पथ पर ले जाएगा । नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां बेहतर वायु गुणवत्ता, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी, वैश्विक तापन पर नियंत्रण, अर्थव्यवस्था में सुधार और पर्यावास तथा जल गुणवत्ता जैसे पर्यावरणीय मानों की सुरक्षा में योगदान करती हैं । विगत वर्षों में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने, मांग और आपूर्ति हेतु आवश्यक सकारात्मक दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक अपनाया है । भारत की नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी कार्यनीति ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच और साथ ही राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणालियों के कार्बन फुट प्रिंटों में कमी लाने की ओर भी अभिमुख है । यह विगत वर्षों से संघीय स्तर पर बढ़ती सशक्त प्रतिबद्धता से विकसित हुआ है ।

नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत में बढ़ोतरी करने के लिए संस्थागत व्यवस्था को नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं और नवीकरणीय उत्पादन बाध्यताओं द्वारा और सुदृढ़ किया जाएगा ।

कुल अवस्थापित क्षमता में भारत के गैर-जीवाश्म ईंधन का हिस्सा वर्ष 2015 के 30% से बदलकर वर्ष 2030 तक लगभग 40% हो जाने का अनुमान है । भारत विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम चला रहा है । वर्ष 2002 और 2015 के बीच पवन विद्युत, लघु जल विद्युत, बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन, अपशिष्ट से विद्युत और सौर विद्युत सहित स्रोतों के संयोजन से नवीकरणीय ग्रिड क्षमता 2% (3.9 जीडब्ल्यू) से लगभग 13% (36 जीडब्ल्यू) अर्थात 6 गुना से भी अधिक बढ़ गई है । नियामक शर्तों पर नवीकरणीय ऊर्जा अवस्थापित क्षमता से प्राप्त CO_2 उत्सर्जन उपशमन दिनांक 30 जून, 2015 तक प्रति वर्ष 84.92 मिलियन टन CO_2 के बराबर था ।

देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और परिनियोजन में गति लाने के लिए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि को 2016-17 में 30 जीडब्ल्यू से बढ़ाकर 2021-22 तक 175 जीडब्ल्यू करने के लिए लक्ष्यों को बढ़ाने जैसी कई पहलें कर रही है । वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति होने पर प्रति वर्ष 326.22 मिलियन टन CO_2 के बराबर उपशमन होगा । महत्वाकांक्षी सौर विस्तार कार्यक्रम में वर्ष 2022 तक 100 जीडब्ल्यू तक क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है जिसे आगे और बढ़ाया जाएगा । इन प्रयासों में पवन ऊर्जा, सौर, जल विद्युत, बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा सहित कुल विद्युत मिश्रण में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाना शामिल हैं ।

भारत ने कर्क रेखा और और मकर रेखा के बीच स्थित सभी देशों का वैश्विक सौर गठबंधन, आईएनएसपीए (अंतरराष्ट्रीय सौर नीति और अनुप्रयोग अभिकरण) का समर्थन करने का भी निर्णय लिया है । सौर मिशन के भारत सरकार की प्रमुख पहल के रुप में होने से भारत में सौर विद्युत महत्वपूर्ण रुप से विकसित होने की ओर अग्रसर है। 25 सौर उद्यानों के विकास, अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं, कैनल टॉप सौर परियोजनाओं और किसानों के लिए एक सौ हजार सौर पम्प की स्कीम क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। "सभी के लिए बिजली" के सरकार का लक्ष्य उपर्युक्त कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है जिसमें बड़े निवेश, नई प्रौद्योगिकी का संचार, नाभकीय ईंधन की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित है।

7. वनों द्वारा प्रदत्त पारि-प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं की सीमा में कार्बन पृथक्करण और भंडारण शामिल हैं। महत्वपूर्ण अवसर लागतों के बावजूद, भारत ऐसे कुछ देशों में से एक है जहां वर्तमान वर्षों में वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है और कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24% है। गत दो दशकों में, भारत के प्रगामी राष्ट्रीय वानिकी विधानों और नीतियों ने भारत के वनों को CO_2 के निवल सिंक में रुपांतरित किया है। सतत वन प्रबंधन, वनीकरण और वनेतर उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन को विनियमित करने के लक्ष्य सहित, भारत की योजना अपने कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है। भारत सरकार का दीर्घावधिक लक्ष्य नियोजित वनीकरण अभियान के माध्यम से अपने वनावरण को बढ़ाना है जिसमें हरित भारत मिशन, हरित राजमार्ग नीति, वनों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, नदियों के किनारे पौधरोपण, आरईडीडी-प्लस एवं अन्य नीतियाँ और प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण जैसे विभिन्न कार्यक्रम और पहलें शामिल हैं।

पहली बार संघीय पूल से राज्यों तक निधियों का हस्तांतरण उस फार्मूले पर आधारित होगा जो वन के अंतर्गत क्षेत्र को 7.5% भार देता है। यह परिवर्तनशील वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है ताकि देश की राजकोषीय प्रणाली को इस प्रकार पुन: संतुलित कर पाए जिससे संसाधनों के हरित वितरण का संवर्धन होगा। इस पहल से राज्यों को अपने वनावरण के आधार पर लगभग 6.9 बिलियन अमेरिकी डालर के अंतरण किए जाने की शर्त द्वारा वनीकरण को भारी बढ़ावा मिलेगा जिसके वर्ष 2019-20 तक 12 बिलियन अमेरिकी डालर तक बढ़ जाने का अनुमान है।

8. भारत के लिए अंगीकरण अपरिहार्य और विकास प्रक्रिया हेतु अनिवार्य है। भारत, वास्तविक मुद्दे के रुप में जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है जो इसके कृषि और जल जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। बड़े पैमाने पर गरीबी के होने और आजीविका हेतु जलवायु संवेदी क्षेत्रों पर आबादी के बड़े भाग की निर्भरता द्वारा देश के विकासात्मक पहलुओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यह अति महत्वपूर्ण है और इस पर तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है । आईएनडीसी में, देश ने अंगीकरण प्रयासों पर बल दिया है जिसमें शामिल हैं: क) सतत पर्यावास विकसित करना; ख) जल के सदुपयोग की क्षमता प्राप्त करना; ग) पारिस्थितिकीय रुप से सतत जलवायु अनुकूल कृषीय उत्पादन प्रणालियों को सृजित करना ; घ) हिमालयी ग्लेश्यिरों और पर्वतीय पारिप्रणाली की सुरक्षा करना; और, ड.) सतत रूप में प्रबंधित वनों में कार्बन सिंक को बढ़ाना तथा संवेदनशील प्रजातियों, वन-आश्रित समुदायों और पारिप्रणालियों के लिए अंगीकरण उपायों का कार्यान्वयन। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में अनुकूलन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ` 3500 मिलियन (55.6 मिलियन अमेरिकी डालर) के आरंभिक आवंटन सहित राष्ट्रीय अंगीकरण निधि भी स्थापित की है। ये निधि उन क्षेत्रों, जोकि विशेषत: जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, में अंगीकरण उपायों की लागत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यकलापों में सहायक होगी।

9. भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों का निधियन अब तक मुख्यत: घरेलू संसाधनों से ही होता रहा है। भारत के पास पहले से ही कारगर जलवायु कार्य योजनाएं विद्यमान हैं। वर्ष 2015 और 2030 के बीच राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रारंभिक घरेलू अपेक्षाओं में 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से अधिक तक जोड़ने की आवश्यकता होगी। इन योजनाओं में पर्याप्त बढ़ोतरी के लिए और अधिक संसाधनों की आश्यकता होगी। भारत जैसे विकासशील देश के पास सीमित संसाधन है तथा वह पहले ही जलवायु परिवर्तन पर बहुत अधिक खर्च कर रहा है। जलवायु परिवर्तन उपशमन और अंगीकरण कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए घरेलू तथा अपेक्षित संसाधनों और उपलब्ध संसाधनों के अंतराल को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों से नई और अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी।

10. भारत में शहरीकरण और ऊर्जा की बढ़ती मांग के मद्देनजर जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए त्वरित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। लगभग 360 मिलियन लोगों को गरीबी से उभारने तथा इससे भी अधिक लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उत्तरदायित्व के साथ, भारत जैसे देशों के लिए केवल प्रौद्योगिकी ही प्रभावशाली समाधान है जोकि साथ-ही-साथ जलवायु परिवर्तन और विकास आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकती है। प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण एवं क्षमता निर्माण, उचित विकास तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का परिनियोजन सुनिश्चित करने की कुंजी हैं। समृद्ध और निर्धन देशों के बीच प्रौद्योगिकी अंतराल बहुत अधिक ही रहता है तथा नई प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता को बढ़ाए जाने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण से संबंधित संवर्धित कार्य भारत की आईएनडीसी के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। विकसित देशों को मददगार होना चाहिए तथा उन्हें प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, व्यवधानों को हटाने, बाधारहित आईपीआर व्यवस्था सृजित करने, वित्त प्रदान करने, क्षमता निर्माण सहायता में मदद करनी चाहिए तथा स्वच्छ कोयला तथा अन्य प्रौद्योगिकयों के संबंध में अनुसंधान और विकास करने के लिए वैश्विक कार्यढांचा सृजित करना चाहिए।

11. भारत के आईएनडीसी में सभी घटकों अर्थात उपशमन, अंगीकरण, वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण पर बल दिया गया है। यह उच्च महत्वाकांक्षा और निर्धन लोगों की आवश्यकताओं और परिवर्तित विकास प्रतिमान को संतुलित करने के प्रयासों को प्रस्तुत करता है । इसमें अंगीकरण क्षेत्रों पर भी सशक्त रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

12. भारत के आईएनडीसी, इसकी विकास संबंधी कार्य-सूची के सामंजस्य में हैं और जलवायु परिवर्तन का सामना करने तथा वैश्विक समुदाय के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपना सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं । जलवायु परिवर्तन का सामना करने में भारत का दृष्टिकोण, आर्थिक वृद्धि हेतु देश के वर्तमान संसाधनों, क्षमताओं और भावी योजनाओं के लिए उत्तरदायी है । अत: आईएनडीसी के कार्यान्वयन से समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु वर्तमान सरकार की योजनाओं की प्राप्ति को बढ़ावा मिलेगा । भारत को पता है कि जलवायु परिवर्तन के उपशमन की दिशा में इसकी सभी कार्रवाइयों का सशक्त विकासात्मक प्रभाव पड़ता है । गरीबी से बाहर निकालकर निर्धन व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए किया गया कार्य, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के प्रयास का एक महत्वपूर्ण भाग है, और दो प्रयासों को परस्पर प्रतिपूरक बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर है । भारत, गरीबी उन्मूलन, आवास, विद्युत, बेहतर स्वास्थ्य और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी विस्तृत विकास चुनौतियों का सामना करता है । अत: एक ऐसे विकास पथ को तैयार करने के लिए दबाव बढ़ रहा है जो हमारी आकांक्षाओं का त्याग किए बिना पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो।

इस आशय से, हमारे आईएनडीसी में रेखांकित किए गए सभी प्रयास - स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना और उसकी अभिगम्यता, नई ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियां संस्थापित करना और निम्न कार्बन गहन जीवन शैली के प्रति अंगीकरण भारत भर में सतत आजीविकाओं के लिए अवसर सृजित करने और निर्धन व्यक्तियों के लिए सतत विकास करने हेतु लक्षित किए गए हैं । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत एक निम्न कार्बन उत्सर्जन मार्ग की ओर कार्यरत होने का प्रयास करने के साथ-साथ आज हमारे देश के समक्ष मौजूद सभी विकासात्मक चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करने का इच्छुक है, भारत के आईएनडीसी अनुकूल एवं महत्वाकांक्षी हैं।

13. पेरिस से अपेक्षाएं

1) कन्वेंशन के सिद्धांतों और प्रावधानों के अनुरूप - सभी घटकों - उपशमन, अंगीकरण, प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता निर्माण के साथ संतुलित करार
2) उपशमन, अंगीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए विकसित और विकासशील देशों से नई, अतिरिक्त और निश्चित वित्त सहायता
3) प्रौद्योगिकी विकास, हस्तांतरण और प्रसार का सुलभ प्रावधान
4) पेरिस करार में हानि और क्षति का समावेशन किया जाना चाहिए तथा वारसॉ अंतरराष्ट्रीय कार्यतंत्र को प्रचालनात्मक बनाना चाहिए ।

भारत के आईएनडीसी

1. परम्पराओं और संरक्षण तथा संतुलन के मूल्यों पर आधारित स्वस्थ और सतत जीवन-शैली का प्रतिपादन तथा प्रसार करना ।

2. आर्थिक विकास के समनुरूपी स्तर पर अन्य देशों द्वारा अब तक अनुसरण किए गए मार्ग पर चलने के स्थान पर एक जलवायु अनुकूल और स्वच्छतर मार्ग अपनाना ।

3. इसकी सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 33-35 प्रतिशत तक कम करना ।

4. प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) सहित कम लागत के अंतरराष्ट्रीय वित्त की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचित विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करना ।

5. वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2·5-3 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास सृजित करना ।

6. जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर रूप से अनुकूलन करना ।

7. अपेक्षित संसाधन और संसाधन अंतर के आलोक में उपरोक्त उपशमन और अनुकूलन कार्रवाइयां करने के लिए घरेलू धनराशि और विकसित देशों से नई तथा अतिरिक्त निधि जुटाना ।

8. क्षमता निर्माण करना, भारत में उत्कृष्ट जलवायु प्रौद्योगिकी के शीघ्र प्रसार और ऐसी भावी प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास के लिए घरेलू ढांचा तथा अंतरराष्ट्रीय वास्तुशिल्प का सृजन करना ।